उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5491/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित लघु सिंचाई खण्ड से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में उल्लिखित लघु सिंचाई खण्ड में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0 सं0	**अधिशासी अभियंता का नाम**	**वर्तमान तैनाती का खण्ड**	**स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनाती का खण्ड**	**स्थानान्तरण का आधार**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1-	श्री द्वारिका प्रसाद	झॉसी	इटावा	अनुरोध
2-	श्री अभिराम प्रसाद वर्मा	आगरा	झॉसी	जनहित

2- उक्त अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नव तैनाती के स्थान पर बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5491(1)/62-2-2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित अधिकारी, द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5680/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अखिलेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई आपूर्ति खण्ड, लखनऊ को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, अमेठी के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री अखिलेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई आपूर्ति खण्ड, लखनऊ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5680(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0 प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5681/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सहारनपुर को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, शामली के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सहारनपुर को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5681(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5682/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री वाई0पी0एस0 यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, सम्भल के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री वाई0पी0एस0 यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5682(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5683/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विनोद कुमार यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, वाराणसी को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री विनोद कुमार यादव, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, वाराणसी को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5683(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5684/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, आगरा के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5684(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-5685/62-2-2017-2/4(12)/2017
लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन को अत्यन्त नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जालौन के रिक्त पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री विजय कुमार को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 शासन के पद के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार श्री विजय कुमार तथा श्री सुभाष चन्द्र, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड लखनऊ से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था शासन के अग्रिम आदेशों अथवा नियमित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड जालौन की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव।

सं0-5685(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी,उ0प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in